अर्ज क्रमांक 1512 कलम 23
अर्ज दाराचे नांव अविनाश राठोड
अर्ज आल्याचा दिनांक 05/09/2018
नक्कल तयार दिनांक
नक्कल दिल्याची दिनांक 12/09/2018

परिच्छेद ब

सत्यशोधक सेवा समिति, अकोला

इस संस्था का ज्ञापन
मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन

Registration No. MAH/ 119 /2018
Date 3 / 8 /2018 Under
Assistant Registrar of Societies

अधिक्षक,
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय
अकोला विभाग, अकोला

संस्था का नाम : सत्यशोधक सेवा समिति, अकोला

पत्ता : श्री मधुकर रुस्तमजी पवार रा. कैलास नगर गोरक्षण रोड अकोला

संस्था के उद्देश्य : सरकार की अनुमति से निम्नलिखित उद्देश्यों को अमल में लाना।

1. विद्यार्थीयों के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी माध्यम में आंगणवाडी, बालवाडी, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शालाएँ चलाना ।
2. उच्च शिक्षा के लिए कला, वाणिज्य, विज्ञान, औषधीय, अभियंता, डी.एम.एल.टी., तकनिकी, संगणक प्रशिक्षण केंद्र चलाना, व्होकेशनल, डी.एड., बी.एड., डी.फार्म, बी.फार्म,शारीरिक, कृषि विषयक महाविद्यालय की स्थापना करना तथा उन्हें चलाना।
3. महिला एवं युवकों के लिए व्यवसाय से जुडे प्रशिक्षण से अवगत कर रोजगार एवं मार्गदर्शन केन्द्र चलाए जाए।
4. अंधे एवं विकलांग विद्यालय, आश्रमशाला, निवासी शाला है, प्रौढ शिक्षा वर्ग चलाना।
5. सरकार अनुमति प्राप्त विभिन्न खेल संदर्भ में कार्यशाला एवं प्रशिक्षण वर्ग चलाना।
6. छात्रावास, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, बालसंस्कार गृह चलाना।
7. युवकों में कसरत की रूचि निर्माण करने के लिए उन्हें अद्यावत कसरत साहित्य उपलब्ध कर व्यायाम शाला चलाना।
8. पौधारोपन, पौधासंवर्धन, रक्तदान, आँखदान, ग्राम स्वच्छता आदि सामाजिक कार्यों में सहभागिता। सांस्कृतिक कला केन्द्र चलाना तथा सांस्कृतिक भवनों का निर्माण करना। जिसके माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
9. नवयुवकों में समाज सेवा रूचि के निर्माण हेतु उनके लिए नेतृत्व शिबिरों का आयोजन करना।
10. मानव - मानव के बिच कटुता, हिंसा, वैमनस्यता, घृणा का वातावरण समाप्त करा कर आपसी प्रेम व शांति का सन्देश देश के कोने मे पहुचाने का प्रयत्न करना।
11. केंद्र तथा राज्य सरकारी महिला एवं युवक कल्याण तथा धर्मादाय अस्पताल चलाना।
12. समाज कल्याण हेतु मानव को अपने अधिकार के प्रति जागृति लाने का प्रयास करना।
13. आहार एवं स्वास्थ विषयक शिबिरों का आयोजन करना, विविध कला स्पर्धाओं का आयोजन करना।
14. महिलाओं पर होनेवाले अत्याचार तथा उन अत्याचारों के विरोध के लिए उचित मार्गदर्शन के केन्द्र चलाना।
15. समाज को न्यायिक प्रणाली का ज्ञान अवगत कराना एवं कानुनी सहायता प्रदान कने हेतु मदद करना।

धर्मादाय उपआयुक्त, DEPUTY CHARITY COMMISSIONER, AKOLA REGION, अकोला विभाग, अकोला

16. समाज के विभिन्न वर्गो के उप्तीडन के निराकरण हेतु आसन, प्रशासन, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार न्यायालयो एवं अन्य स्तरों पर समुचित न्याय दिलने सम्बंधित प्रयास करना।

17. महिलाओं के लिए भरतकाम, सिलाई काम आदि रोजगारान्मुख प्रशिक्षण ~~संस्था चलाना~~। केंद्र चलाना

18. सरकार अनुमति प्राप्त क्रिडा स्पर्धाओं का आयोजन करना, शिबिर आयोजित करना, युवक तथा युवतीयों के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का पालन करना।

19. भारत सरकार द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का जन-जन में प्रचार प्रसार करना जिससे आम आदमी उसका लाभ प्राप्त कर सके।

20. राष्ट्रीय मानव अधिकार, राज्य मानवाधिकार आयोगो के संपर्क मे रह कर उनकी सेवाएँ आम आदमी को मुहैया कराने का प्रयास करना।

21. पारिवारिक मार्गदर्शन केन्द्र चलाना, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना, दहेज के विरोध में तथा व्यसनमुक्ति योजनाओं का पालन करना।

22. अच्छे आचरण हेतु समय समय पर कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण देना ताकि लोग आचरण हेतु समय समय पर कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण देना ताकि लोग आचरण एवं अधिकरों के बीच तारतम्य स्थापित कर सकें।

23. उपरोक्त समिती के माध्यम से जिम्मेदार व्यक्तिओं को सैलो मे पद देकर मानवसमाज को न्याय दिलाने व उसके प्रताडिन होने पर संरक्षण प्रदान करना।

24. आदिवासी लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलना, दलित, पिछडे जाति के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाना।

25. किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए समय-समय पर आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करा देना तथा, किसानों को फिल्म शो, व्हिडिओ शो, प्रदर्शनी, व्याख्यान, चर्चासत्र आदि द्वारा अत्याधुनिक ज्ञान, इ. तंत्रज्ञान उपलब्ध करा देना, तथा कृषि से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करना।

26. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अस्पताल चलाना, रोग प्रतिकारक कार्यक्रम, एडस् विरोधी जनजागृति प्रथा प्रतिरोधक कार्यक्रम चलाना, नशाबंदी शराब बंदी कार्यक्रम चलाना।

27. सरकारी तथा गैरसरकारी जनप्रतिनिधि के निधी से बांधकाम करना, डी.पी.ए.पी. तथा नॉन डी.पी.ए.पी. कार्यक्रमोंका आयोजन करना।

28. केन्द्र सरकारी एवं राज्य सरकारी ग्राम विकास मंत्रालय, नगरविकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सांस्कृतिक पर्यटन विकास मंत्रालय तथा न्याय मंत्रालय [पाटबंधारे विकास मंत्रालय] आदिवसी विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ विभाग के विविध योजनाएँ अमल में लाना, केन्द्र सरकार व पार्ट योजनाअंतर्गत आनेवाली सभी योजनाओं पर अमल करना।

29. वन औषधी, जंगल खेति, वनस्पति जंगल, ॲलोपॅथिक, आयुर्विदिक, होमियोपॅथिक, नॅचरोपॅथिक, हृदयरोग तथा अन्य दुर्धर तथा सर्वसाधारण बिमारीयों पर औषधी

उपचार, शस्त्रक्रिया तथा अत्यावश्यक सुविधाएँ उपलब्ध करा देना तथा वनऔषधी निर्माण करना।

30. कृषि विद्यालय. कृषि महाविद्यालय, दुग्ध विकास व व्यवस्थापन विद्यालय व महाविद्यालय चलाना, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा कृषि विषयक सभी योजनाओ पर अमल लाना।
31. समाज को न्यायीक प्रनाली का ज्ञान अवगत कराना एवम् कानुनी सहाय्यता करना।
32. सरकारी, निम सरकारी योजनाओं के संदर्भ में जनजागृती करना।
33. समाज में विवाह समस्या निराकरण वधु-वर परिचय, सामुहिक विवाह समारोह का आयोजन करना, स्पर्धात्मक परिक्षाओं का आयोजन करना।
34. बचत समुह के लिए उचित मार्गदर्शन केन्द्र चलाना, बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना।
35. कुल, पंथ, लिंग, जाती अथवा रंग भेद अलावा मानवता के सार्वभौतिक बंधुत्व का केन्द्र बिंदु तयार करना।
36. लोकतंत्र एवंम् वैश्विक नागरिक सांस्कृतिक जागरूकता के माध्यम से समाज तथा सहिष्णुता विकसित करने के लिए प्रयास करना।

आयुक्त COMMISSIONER AKOLA REGION, AKOLA अकोला विभाग, अकोला

``सत्यशोधक सेवा समिति, अकोला``

इस संस्था के नियम तथा उसकी नियमावली अनुसार जिस कार्यरत मंडल पर संस्था का कार्यभार सौपा गया है। ऐसे प्रथम कार्यकारी मंडल कें सभासदों का पूरा नाम, पता, पद, उम्र, शैक्षणिक योग्यता तथा व्यवसाय निम्नप्रकार से है।

अ.क्र.	नाम एवं पत्ता	पद	उम्र	राष्ट्रीयत्व	व्यवसाय
1	श्री अविनाश किसन राठोड रा.नाईक नगर,सादिक नगर के पास बार्शिटाकळी जि.अकोला	अध्यक्ष	37	भारतीय	निजी नोकरी
2	श्री समाधान गणपत इंगोले रा.शेलु बाजार ता.मंगरूळपीर जि.वाशिम	उपाध्यक्ष	37	भारतीय	कृषी
3	श्री किसन मंगु राठोड रा.नाईक नगर,सादिक नगर के पास बार्शिटाकळी जि.अकोला	सचिव	64	भारतीय	सेवानिवृत्त
4	श्री सौ.रेवती रविंद्र राठोड रा.नाईक नगर,सादिक नगर के पास बार्शिटाकळी जि.अकोला	सहसचिव	35	भारतीय	नोकरी
5	श्री रामधन दावला पवार रा.गोरव्हा ता.बार्शिटाकळी जि.अकोला	कोषाध्यक्ष	62	भारतीय	सेवानिवृत्त
6	श्री मोहन भिमला जाधव रा.बार्शिटाकळी काजळेश्वर, जि.अकोला	सदस्य	61	भारतीय	कृषी
7	श्री हरीश प्रकाश जाधव रा.रेडवा, ता.बार्शिटाकळी जि.अकोला	सदस्य	30	भारतीय	~~[illegible]~~ शिक्षण

आयुक्त
COMMISSIONER
REGION, AKOLA
विभाग, अकोला

हम हस्ताक्षर करते है ``सत्यशोधक सेवा समिति, अकोला`` इस संस्था के सदस्य का ऐलान करते है कि, संस्था पंजीयन अधिनियम 1860 अनुसार अभिप्रेत कि गई संस्था आलेख में लाने की हमारी इच्छा है तथा उपर्युक्त उद्देश्य से हम सभी ने एकसाथ आकर सत्यशोधक सेवा समिति अकोला इस संस्था की आज तिथि 20/6/18 को स्थापना की गई तथा यह संस्था पंजीयन अधिनियम 1860 अनुसार पंजीकरण करने हेतु हमने इस विधानपर हस्ताक्षर किये।

अ.क्र.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	श्री अविनाश किसन राठोड	रा.नाईक नगर,सादिक नगर के पास बार्शिटाकळी जि.अकोला	[signature]
2	श्री समाधान गणपत इंगोले	रा.शेलु बाजार ता.मंगरूळपीर जि.वाशिम	[signature]
3	श्री किसन मंगु राठोड	रा.नाईक नगर,सादिक नगर के पास बार्शिटाकळी जि.अकोला	[signature]
4	श्री सौ.रेवती रविंद्र राठोड	रा.नाईक नगर,सादिक नगर के पास बार्शिटाकळी जि.अकोला	[signature]
5	श्री रामधन दावला पवार	रा.गोरव्हा ता.बार्शिटाकळी जि.अकोला	[signature]
6	श्री मोहन भिमला जाधव	रा.बार्शिटाकळी काजळेश्वर, जि.अकोला	[signature]
7	श्री हरीश प्रकाश जाधव	रा.रेडवा, ता.बार्शिटाकळी जि.अकोला	[signature]

उपर्युक्त हस्ताक्षर करनेवाले सभी लोगों को मै पहचानता हुँ। तथा उन्होंने मेरे समक्ष ही हस्ताक्षर लिए है।

स्थल : अकोला

तिथी : 20/6/2018

हस्ताक्षर

[signature]

Subhash V. Mungi
Advocate
Dutta Niwas, Shivaji Nagar
AKOLA (Mah.)

उपआयुक्त
CHARITY COMMISSIONER
सत्यमेव जयते
AKOLA REGION, AKOLA
विभाग, अकोला

Registration No. MAH/ 119 /20.18
Date 3 / 8 /2018. Under
Assistant Registrar of Societies

परिच्छेद क

``सत्यशोधक सेवा समिति अकोला``

नियम व नियमावली

1. **नियमावली अंतर्गत संदर्भीय शब्दो की व्याख्या :**

संस्था अर्थात **``सत्यशोधक सेवा समिति अकोला``** इस प्रकार जाना जायेगा।

अध्यक्ष का अर्थ होगा **``सत्यशोधक सेवा समिति अकोला``** इस संस्था का अध्यक्ष जाना जायेगा।

उपाध्यक्ष अर्थात **``सत्यशोधक सेवा समिति अकोला``** इस संस्था का उपाध्यक्ष माना जायेगा।

सचिव अर्थात **``सत्यशोधक सेवा समिति अकोला``** इस संस्था का सचिव माना जायेगा।

सहसचिव अर्थात **``सत्यशोधक सेवा समिति अकोला``** इस संस्था का सहसचिव माना जायेगा।

कोषाध्यक्ष अर्थात **``सत्यशोधक सेवा समिति अकोला``** इस संस्था का कोषाध्यक्ष माना जायेगा।

कार्यकारी समिति सदस्य अर्थात **``सत्यशोधक सेवा समिति अकोला``** इस संस्था का कार्यकारी समिति सदस्य माना जायेंगे।

सभासद अर्थात **``सत्यशोधक सेवा समिति अकोला``** इस संस्था का सभासद माना जायेगा।

2. **संस्था का नाम एवं पता :**

नाम : **``सत्यशोधक सेवा समिति अकोला``**

पता : द्वारा - श्री. मधुकर खेमालालजी पवार रा. कैलास नगर गोरक्षण
[illegible] ... 444 [illegible]
रोड अकोला

3. **संस्था का कार्यक्षेत्र** : संस्था का कार्यक्षेत्र भारत देश तक सीमित होगा।

4. **हिसाब वर्ष** : संस्था का हिसाब वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च रहेगा।

5. **सभासदत्व तथा उसके पंजीयन पद्धति** : संस्था के कार्यक्षेत्र अंतर्गत किसी भी भारतीय महिला / पुरूष संस्था के सभासद बन सकते है। सभासद के लिए आवेदन करते समय उम्र 18[अठरह] वर्ष से अधिक हो। सभासद को सस्था द्वारा घटना में दि गए नियमों नुसार आचरण की हमी देनी होगी। जिन्हें संस्था का सभासदत्व चाहीए उन्होने संस्था अध्यक्ष से आवेदन कर कार्यकारी मंडल की सहमतीनुसार उन्हें सभासदत्व प्रदान किया जायेगा। कार्यकारी मंडल किसी भी व्यक्ति को कोई कारण न देते हूए उसे सभासदत्व देने से मना कर सकते है।

6. **सभासदों के प्रकार** :

अ] **संस्थापक सदस्य [फाऊंडर मेंबर]** : दिनांक 20/6/19८ को सभा में उपस्थित तथा मेमोरॅन्डम ऑफ असासिएशन पर हस्ताक्षर करनेवाले सभी सभासद संस्थापक सदस्य माने जायेंगे। संस्थापक सदस्यत्व शुल्क रूपये 100/- [सौ रूपये मात्र] होगी।

ब] **आजीव सभासद [लाईफ मेंबर]** रूपये ..११००/-....../- सभासद शुल्क या उससे अधिक शुल्क देनेवाले दाता महिला / पुरूष संस्था के आजीवन सभासद बन सकते है। तथा उनका सदस्यत्व आजीवन होगा। प्रवेश शुल्क रूपये १०/-............/- होगा।

क] **साधारण सभासद** रूपये ..२५०/-....../- इतनी सदस्यता शुल्क देकर संस्था के साधारण सभासद बन सकते है। प्रवेश शुल्क रूपये १०/-............/- मात्र होगा। साधारण सभासद सदस्यत्व एक वर्ष तक सीमित होगा। सभासदत्व शुल्क देकर नुतनीकरन न करने पर सभासदत्व रद्द किया जायेगा।

ड] पदाधिकारी व विशिष्ट - स्वेच्छा से.

7. **सभासदत्व रद्द करने के संदर्भ में** - कोई भी सभासद न्यायालय द्वारा गुनाहगार सिद्ध हुआ है, उसका नैतिक अध:पतन हुआ है। देश विघातक कार्यो में मग्न हो, 6 मॉह से अधिक विदेश में रहा हो, व्यसन से ग्रस्त हो, गैरवर्तन करता हो, यदि उसकी मृत्यु हो चुकि हो, अथवा संस्था को नुकसान पहुचाता हो, नोटीस देने के बाद भी कोई लिखित कारण न देते हुय यदि वह तीन बार सभा में अनुपस्थित रहे तो उस सदस्य का तथा कार्यकारी मंडल की बहुमत से ठराव पास कर उसका सभासदत्व रद्द किया जायेगा।

8. **सर्वसाधारण सभा तथा अधिकार एवं कार्य** :

अ] सर्वसाधारण सभा का आयोजन वर्ष में एक बार होगा। सर्वसाधारण सभा संस्था की सर्वश्रेष्ठ तथा अंतिम निर्णय माना जायेगा।

ब] उस सभा में सभी सभासद शामील हो सकते है। उपस्थित सभासद के पास किसी प्रकार का कोई शुल्क बकाया न हो।

क] कार्यकारी मंडल द्वारा चलाये जानेवाले कार्यपर नियंत्रण रखना तथा संस्था के हित में आवश्यक सूचनाएँ दि जाये।

ड] संस्था व संस्था के नियंत्रण में चलायी जानेवाली सभी शाखाओं का वार्षिक जमाखर्च अहवाल मंजुर करना, उसके पूर्ति हेतु आवश्यक सूचनाएँ देना, आनेवाले वर्ष का जमा खर्च अंदाजपत्रक मंजूर करना।

इ] सभा के समय पर अध्यक्ष की अनुमतिसे विभिन्न ठरावों की मान्यता देना। अथवा अमान्य करना।

फ] 3/5 [तीन पंचमांश] सभासद के बहुमत से संस्था के नियमावली। उद्देशों में वृद्धि करना अथवा कमी करना।

य] कार्यकारी मंडल का निर्माण करना।

9] **सर्वसाधारण सभा की सूचना तथा गणसंख्या** : सर्वसाधारण सभा की सूचना अध्यक्ष के हस्ताक्षर के सूचना विज्ञापन द्वारा अथवा डाकद्वारा 8 दिन पूर्व मिली इस उद्देश से भेजा जाय। सर्वसाधारण सभा का आयोजन करते समय 2/3 [दो तृतीयांश] गणसंख्या उपस्थित न हो तो ऐसे समय में सभी बरखास्त की जाये।

10] **विशेष सर्वसाधारण सभा तथा उनके कार्य** : विशेष सर्वसाधारण सभा 10 [दस] दिन की सूचना, अध्यक्ष की हस्ताक्षर से सूचना विज्ञापन द्वारा अथवा डाकद्वारा देकर अध्यक्ष को बुलाया जा सकता है। इस आयाजित सभा में संस्था के नाम में बदलाव, विलीनीकरण, उद्देशों में वृद्धि तथा मात्रा कम करना तथा इस संस्था को समाप्त करना तथा संस्था हित दृष्टि से ताबडतोब निर्णय किया जायेगा।

11] **संस्था का कार्यकारी मंडल तथा उसके पदाधिकारीयों की रचना** :

संस्था में कार्यकारी मंडल में 7 सदस्य

1] अध्यक्ष - 1	2] उपाध्यक्ष - 1	3] सचिव - 1
4] सहसचिव -1	5] कोषाध्यक्ष -1	6] सदस्य - 2 आदि।

12] **कार्यकारी मंडल का कार्यकाल चुनाव पद्धती** :

कार्यकारी मंडल का कार्यकाल 5 [पाँच] वर्ष रहेगा। हर पाँच वर्ष से आमसभा में बहूमत से किया जायेगा। इनमें से किसी एक सदस्य द्वारा राजीनामा देने पर अथवा मृत्यु होने पर उस रिक्त पदपर कार्यकारी मंडल द्वारा बहुमत से नवीन सस्य की नियुक्ति शेष समय तक की जायेगी।

13] **कार्यकारी समिति के पदाधिकारी तथा उनकी कार्य** :

अ] **अध्यक्ष** : सभा का कामकाज चलाना। संस्था के हित संबंध में उचित निर्णय लेना, संस्था के कारभार तथा उनकी शाखाओं पर नियंत्रण रखना, सर्वसाधारण सीाा

आयोजित करना, तथा सभा की सूचना सचिव को बताकर अध्यक्ष के हस्ताक्षर से निकालना। तथा सभा का अध्यक्ष पद स्विकारना।

ब] **उपाध्यक्ष** : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का काम करना तथा अनरू समय संस्था के ।वेकास कार्य में हिस्सा लेना।

क] **सचिव** : संस्था का पत्रव्यवहार संभालना, विवादों का निवारण करना। संस्था के कार्य पर ध्यान रखना, संस्था के दृष्टि से आवश्यक सभी न्यायालय से संबंधीत काम करना, दैनिक जमा खर्च देखकर उनपर हस्ताक्षर करना, सदस्योंपर ध्यान रखना। मान्यता प्राप्त ठर।व को अमल में लाना, संस्था दृष्टी से हितकारक किसी की कार्य को करना।

ड] **सहसचिव** : सहसचिव को सचिव की अनुपस्थिति में सचिव पद की सभी कर्तव्य तथा जिम्मेदारीयों को पूरा करना।

ई] **कोषाध्यक्ष** : संस्था के आर्थिक परिस्थिती पर नियंत्रण रखना, हिसाब लिखना। हिसाब पूर्ण होने पर उसे अध्यक्ष समझ रखना, हिसाब पुस्तिका से वार्षिक पत्रक तयार करना, रूपयों की लेन-देन करना, ऑडीटर द्वारा हिसाब में दि गई त्रुटीयों को पूर्ण करना।

क] **कार्यकारी समिती सदस्य** : कार्यकारी समिती की सभा में तथा साधारण सीाा में उपस्थित रहना, चुनाव के समय मतदान करनो तथा संस्था के कार्य में आवश्यकता नुसार मदद करना।

14] **कार्यकारी मंडल सभा तथा माँग की सभा** : कार्यकारी मंडल की सभा वर्ष में कम से कम होनी चाहिए। सभा की सूचना अध्यक्ष के हसताक्षर से 7 [सात] दिन पूर्व सूचना विज्ञापन द्वारा अथवा उाकद्वारा सदसय को मिले ऐसा नियोजन होना चाहिए। 2/3 [दो तृतीयांश] सभासद यदि लिखित माँग करे तो माँग सभा 8 [आठ] दिन के अंदर अध्यक्ष द्वारा बुलानी चाहिए तथा इस माँग कीसभा में मौम के विषयों पर चर्चा की जाएगी। तथा संस्था हित में निर्णय होगा व उस सभा का निर्णय संस्था कार्यकारी सभा को कोरम का बंधन नहीं रहेगा। ऐसा सभा का सूचना में नमूद होना चाहिए।

15] **कार्यकारी मंडल सभा सूचना व गणसंख्या** : कार्यकारी मंडल सभा की सूचना अध्यक्ष की हस्ताक्षर से कम से कम 7 [सात] दिन पूर्व सूचना विज्ञापन द्वारा अथवा डाकद्वारा सदसय को प्राप्त होना चाहिए, इस दृष्टी से भेजना होगा। सभा के दिना 2/3 [दो तृतीयांश] सभासद उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा गणसंख्य पूर्ण न होने पर सभा बरखास्त की जायेगी। इसके बाद उसी दिन, उसी स्थल पर आधे घन्टे के बाद बरखास्त की गई सभा का फिर आयोजन होगा। उस सभा को कोरम का बंधन हीं होगा। ऐसी सभा के सूचना में नमूद होगा।

आयुक्त
COMMISSIONER
AKOLA REGION, AKOLA
अकोला विभाग, अकोला

16] **कार्यकारी मंडल चुनाव नियम** : संस्था का किसी भी प्रकार का बकाया आना हो तो चुनाव लढने हेतु वह सदस्य पात्र नहीं होगा। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति 30 [तीस] दिन पूर्व करानी होगी। एक सालतक मंडल/संस्था/सोसायटी का सभासद होने के बाद मतदान का अधिकार सदस्य को होगा। यह चुनाव आमसभा में बहुमत से होगा। चुनाव की सूचना 15 [पंधरा] दिन पूर्व सूचना द्वारा दि जायेगी।

17] **कार्यकारी मंडल के रिक्त पद की नियुक्ति संदर्भ में** : किसी एक के कार्यकारी मंडल के सदस्य के राजीनामा तथा मृत्यु कारण रिक्त जगह होने पर उस जगह नया सदस्य संस्था के सभासद कार्यकारी मंडल के शेष समय के लिए नियुक्त किया जायेगा।

18] **कार्यकारी मंडल के अधिकार एवं कर्तव्य** : संस्था के सेवकों की नियुक्ति करना, उनपर नियंत्रण रखन, जिससे संस्था कार्य सुचारू रूप से चले। संस्था अंतर्गत सभी शाखाओं पर नियंत्रण रखना, संस्था के सीाी गतिविधी पर देखरेख रखना। सर्वसाधारण सभा के ठराव की पूर्तता करना, संस्था चलाने के लिए अनिवार्य तथा साधारण नियम तयार करना, संस्था के उद्देश्यनुसार तथा नियम अनुसार संस्था का कार्य चलाना। संस्था के वार्षिक कार्यकारी समिति की सूचि तयार कर विभागीय अस्टिन्ट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज इनके कार्यालय में ठराव के नकल साथ जमा करना, संस्था समिती में अथवा उसके आमदनी में बदलाव होने पर बदलाव आवेदन विभागीय कार्यालय में भेजना, सभासदों की सूचि सँभालकर रखना तथा उसके संत्भर्भ में परिशिष्ट 6[छ:] विहित नमुना में जानकारी असिस्टन्ट रजिस्ट्रार ऑफ असोसिएशन अकोला इनके कार्यालय में प्रतिवर्ष जनवरी में भेजना। जमा खर्च हिसाब व्यवस्थित संभालकर उसका ऑडीट [लेखा-परिक्षण] लेकर सर्वसाधारण सभा के समक्ष रखना। संस्था का दैनिक कामकाज व्यवस्थित सुचारू रूप से चलने के लिए अनुकूल सभी ठराव लेकर तथा उसके अनुसार आवश्यक वह कार्यवाही करना उपसमिति का चयन अथवा किसी एक सदस्य को विशेष अधिकार प्रदान करना। संस्था के विकास के दृष्टी से काम करना अथवा योजना बनाना तथा उसका संस्था के उन्नति के लिए उपयोग करना।

19] **संस्था का निधी तथा आमदनी एवं विनियोग** : सभासदों से प्राप्त निधी, शुल्क नगद अथवा अन्य किसीभी स्वरूप मं मिलनेवाली निधी संस्था की आमदनी होगी। और उसका उपयोग संस्था के उद्दिष्ट पर होगा।

20] **उद्देश निहित खर्च प्रावधान** : 50% [पचास प्रतिशत] व्यय शैक्षणिक विकास के उद्देश पर तथा 50% [पचास प्रतिशत] व्यय संस्था के शेष्ज्ञ उद्देशपर संस्था के उद्देश अनुसार किया जायेगा।

21] **कर्जा अथवा जमा पूँजी के संबंध में प्रावधान** : संस्था अपने सभासदों से जमा पूँजी तथा कर्जा ले सकता है, किन्तु उसपर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देगी, तथा यह पूर्ण धनराशी बिना ब्याज से होगी। संस्था को यही कर्जा / जमा पूँजी को आवश्यकता

हो तो वह सन्माननीय धम्रदाय, सह आयुक्त अमरावती इनकी लिखित पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी।

22] **स्थावर सम्पत्ती खरेदी बिक्री संदर्भ में प्रावधान** : संस्था के उद्देश पुर्ति हेतु संस्था किसी भी प्रकार के संपत्ती को खरीद सकती है। स्थावर सम्पत्ति की बिक्री यदी करना हो तो सभी कार्यकारी समिती के सदस्यों की अनुमति से ठराव पारीत किये बगैर तथा सन्माननीय धर्मदाय सह आयुक्त अमरावती इनके लिखित पूर्व अनुमति के बिना बिक्री न करे।

23] **बँक खाता** : संस्था किसी भी राष्ट्रीयकृत बॅक में अथवा अनुमति प्राप्त अनुसूचित बँक में खाता खोल सकते है। अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष इनमें से किसी भी दो पदाधिकारियों के संयुन्त हस्ताक्षर से बँक से धनराशि निकाल सकते है।

24] **सभासदों की सूचि रखने की पद्धति** :

अ] संस्था पंजीयन अधिनियम 1860 के कलम 15 तथा संस्था पंजीयन [महाराष्ट्र] नियम 1971 के नियम 15 व अनुसूचित 6 में विहित नमुना में संस्था के सदस्यों की सूचि होगी।

ब] संस्था पंजीयन अधिनियम 1860 कलम 4 तथा संस्था पंजीयन अधिनियम [महाराष्ट्र] नियम 1971 के नियम 7 तथा अनुसूचि 1 में निहित नमुना में संस्था के कार्यकारी समिती की सूचि मा.सहायक संस्था निबंधक अकोला इनके कार्यालय में प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।

क] संस्था पंजीयन अधिनियम 1860 के कलम 4 [अ] संस्था पंजीयन [महाराष्ट्र] नियम 1971 के नियम 8 व अनुसूचित 2 में निहित नमुना में संस्था में कार्यरत कर्मचारी सूचित मा.सहायक संस्था निबंधक, अकोला के कार्यालय में प्रतिवर्ष भेजा जायेगा।

25] **नियम तथा नियमावली में बदलाव के लिए प्रावधान** : नियमावली में बदलाव की आवश्यकता पर सर्व साधारण सभा में ठराव लेकर 3/5 [तीन पंचमंश] बहुमत से पारित होने पर नये नियम को लागु किया जा सकता है।

26] **संस्था के नाम में बदलाव, उद्देश में बदलाव तथा उसके विलीनीकरण के सन्दर्भ में प्रावधान** :

संस्था के नाम में बदलाव, उद्देश्य में या दो संस्थाआं का विलीनीकरण करने के लिए 1860 के पंजीयन अधिनियम कलम 12 व 12[अ] कार्यवाही करनी होगी।

27] **संस्था का समाप्तीकरण अथवा विसर्जन** : संस्था का कामकाज बंद करने के लिए पंजीयन ॲक्ट 1860 के कलम 13 व 14 नुसार संस्था विसर्जन की कार्यवाही करे।

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि "सत्यशोधक सेवा समिति, अकोला" इस संस्था की नियमावली की सत्यप्रत

अ.क्र.	नाम एवं पद	हस्ताक्षर
1	श्री अविनाश किसन राठोड (अध्यक्ष)	[signature]
2	श्री समाधान गणपत इंगोले (उपाध्यक्ष)	[signature]
3	श्री किसन मंगु राठोड (सचिव)	[signature]

स्थल - अकोला

तिथि :२०/७/२०१८

धर्मादाय उपआयुक्त DEPUTY CHARITY COMMISSIONER AKOLA REGION, AKOLA अकोला विभाग, अकोला

XEROX TRUE COPY

12-9-18

Superintendent
Public Trusts Registration Office
Akola Region, Akola

Made by-
Read by-
Treat by-